# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकंला जिला शाहपुरा (राज.)

प्रकरण संख्या – 19/2024 पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

1 बालुराम पिता बन्ना लाल गुर्जर उम्र वयस्क निवासी कनेछनकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
2 हरलाल पिता बन्नालाल गुर्जर उम्र वयस्क निवासी कनेछनकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा

——( प्रार्थीगण)

बनाम

1 महावीर पिता मिट्ठूलाल खाती उम्र वयस्क निवासी कनेछनकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
2 अरविन्द पिता मागचन्द महाजन उम्र वयस्क निवासी कनेछनकला हाल मु.शाहपुरा जिला, शाहपुरा
3 त्रिलोकचन्द पिता हगामीलाल महाजन उम्र वयस्क निवासी कनेछनकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
4 कृष्णगोपाल पिता दुर्गाशंकर ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी कनेछनकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
5 मदन गोपाल पिता दुर्गाशंकर ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी कनेछनकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
6 अशोक पिता लक्ष्मीनारायण सोमाणी, महाजन उम्र वयस्क निवासी कनेछनकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
7 नरेन्द्र पिता लक्ष्मीनारायण सोमाणी, महाजन उम्र वयस्क निवासी कनेछनकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
8 राजेन्द्र पिता लक्ष्मीनारायण सोमाणी, महाजन उम्र वयस्क निवासी कनेछनकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
9 श्याम सुन्दर पिता लक्ष्मीनारायण सोमाणी उम्र वयस्क निवासी कनेछनकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
10 कमल पिता लादूराम नाई उम्र वयस्क निवासी कनेछनकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
11 गोविन्दराम पिता लादूराम नाई उम्र वयस्क निवासी कनेछनकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
12 गोविन्द प्रसाद पिता सुर्यदेव ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी कनेछनकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
13 राधाकिशन पिता लादू चमार, बैरवा उम्र वयस्क निवासी कनेछनकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
14 मादरा पिता सुरजमल चमार, बैरवा उम्र वयस्क निवासी कनेछनकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
15 भैरूलाल पिता चौथमल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी कनेछनकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
16 गोपाल पिता खाना गुर्जर उम्र वयस्क निवासी कनेछनकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
17 धन्ना पिता भैरू गुर्जर उम्र वयस्क निवासी कनेछनकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
18 बन्ना पिता हीरा गुर्जर उम्र वयस्क निवासी कनेछनकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
19 हरि पिता कल्याण गुर्जर उम्र वयस्क निवासी कनेछनकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
20 भूमिधारी तहसीलदार फुलियाकला जिला शाहपुरा

——( अप्रार्थीगण)

उपस्थित–

प्रार्थी अधिवक्ता—— श्री योगेश कुमार आगाल

**प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढी आराजीयात**

## निर्णय

दिनांक – 15.03.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनांक 25.01.2024 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम कनेछनकलां पटवार मण्डल कनेछनकला भू.अ.नि. कनेछनकला तहसील फुलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 197 के आ.न. 3773, 3774, 3795, 3796, 3797, 3799, 3800 किता 7 रकबा 1.26 हैक्टयर, भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसीगण/सहखातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 25.01.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणो को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि है औ इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हि मे स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

## आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कनेछनकलां पटवार मण्डल कनेछनकलां भू.अ. कनेछनकलां तहसील फुलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 197 के आ.न. 3773, 3774, 3795, 3796, 3797, 37 3800 किता 7 रकबा 1.26 हैक्टयर, भूमि की पत्थरगढी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है।

(2)

उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक कनेछनकला को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा मे तथा मौके पर खडी फसल होने की स्थिति मे पत्थरगढी नही की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी मे ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.03.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
फुलियाकला, जिला शाहपुरा